राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 529/2025

राकेश कुमार पाटनी —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, कृषि, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन उप सचिव कृषि एवं पंचायती राज (कृषि) शासन सचिवालय, जयपुर।
3. कैलाश चन्द मीणा, संयुक्त निदेशक कृषि रसायन आर एल डब्लू सी, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 17.01.2025
आदेश की दिनांक : 31.01.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से :

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) के पद पर संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) जि0प0, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) पारित कर अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) जि0प0, बालोतरा में रिक्त पद पर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 रसायन से संबंधित अधिकारी है, को समायोजित करते हुए पदस्थापन अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी की जन्म दिनांक 18.08.1966 है। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में 01 वर्ष 06 माह का समय ही शेष रह गया है। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 80 में प्रावधानानुसार 02 वर्ष पूर्व पेंशन कागजात तैयार किये जाने चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 14577/2016 मंजूला पाठक बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 21.10.2016 का उद्धरण देकर किसी कार्मिक की एक वर्ष की से कम की अवधि शेष है, के स्थानान्तरण को विधि विरूद्ध माना है। अपीलार्थी का प्रकरण भी इसके समान बताया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राज्यहित में रिक्त पद पर किया गया है। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति 01 वर्ष 07 माह बाद होगी। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। आलोच्य आदेश 15.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होने के कारण अपील खारिज किये जाने योग्य है।
4. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य